पत्रांक : 12/एस–महँगाई भत्ता/महँगाई राहत–54/2017.....2573/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :..12/11/2021

संकल्प

विषय : जनवरी, 2020 से जून, 2021 की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों का राज्य कर्मियों के उपादान एवं उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु महँगाई भत्ता की गणना के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि० दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1(5)/E.V2020 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा जनवरी, 2020 से जून, 2021 की अवधि में सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार के कर्मियों का उपदान एवं उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु महँगाई भत्ता की गणना निम्नरूपेण करने का निर्णय लिया गया है :–

Employees retiring during the period	Notional Percentage of Dearness Allowance (DA) for calculation purpose
From 01.01.2020 to 30.06.2020	21% of basic pay
From 01.07.2020 to 31.12.2020	24% of basic pay
From 01.01.2021 to 30.06.2021	28% of basic pay

3. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1599/वि० दिनांक 28.07.2021 द्वारा केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि० दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से मूल पेंशन का 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जाय। इस वृद्धि में दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किश्तें सम्मिलित हैं। पूर्व में अवधारित महँगाई राहत की दर, दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए 17% ही रहेगी।"

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप जनवरी, 2020 से जून, 2021 की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मियों को उपदान एवं उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु महँगाई भत्ता की गणना निम्नरूपेण करने का निर्णय लिया गया है :–

Employees retiring during the period	Notional Percentage of Dearness Allowance (DA) for calculation purpose
From 01.01.2020 to 30.06.2020	21% of basic pay
From 01.07.2020 to 31.12.2020	24% of basic pay
From 01.01.2021 to 30.06.2021	28% of basic pay

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2542/वि० दि० 11.11.2021 के क्रम में दिनांक 12.11.2021 की बैठक के मद सं० 27 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : 12/एस–महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/2017 2573/वि० राँची, दिनांक 17/11/2021

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखंड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।